

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नदशे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

पत्रिका सिद्धी केवल माताकीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 89 दिनांक 15/05/2019

प्राधी श्री विन्नीर कोठारी MUF

8/0 श्री जेड. एम. कोठारी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

P.No 680 श्री ज्योहरनी डी

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

अशरफपुरा, जोधपुर

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 65618/-

जरिये रसीद संख्या 1081/5786, 5787

दिनांक 15/05/2019 को जमा करा दी हैं ।

प्रारूपकार

नगर निगम, जोधपुर

जी + 1  
गणकीय

15/5/19